राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः– 16 DEC 2021

–:अधिसूचना:–

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 31, राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 हेतु जनहित में निम्न छूट प्रदान करती है :–

1. लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड के संबंध में :– उक्त नियम, 1974 के नियम 14 व 17 तथा नियम, 2012 के नियम 20 (I) के परन्तुक एवं नियम 23–A के अंतर्गत भूखण्डधारी द्वारा निकाय से फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने पर पूर्व की बकाया पुनर्ग्रहण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है एवं फ्री–होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 03 वर्ष तक पुनर्ग्रहण शुल्क देय नहीं होगा। तीन वर्ष पश्चात पुनर्ग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
16/12/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम